न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 15/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

मीरा देवी बनाम मंगलाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री राम कुमार टाडा आर.ए.एस

प्रार्थीनी वकील – फताराम गोदारा

विप्रार्थी वकील – श्रीराम विश्नोई

निर्णय दिनांक – 11.03.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सोनड़ी भू. अभिलेख निरीक्षक सोनड़ी के मौजा विष्णु नगरी पटवार के खेत खसरा संख्या 793/404 रकबा 40.00 बीघा किस्म बारानी दोयम स्थित है। प्रार्थीनी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीनी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीनी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीनी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी के वक्त काश्त प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीनी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर विवादित भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सोनड़ी भू. अभिलेख निरीक्षक सोनड़ी के मौजा विष्णु नगरी पटवार के खेत खसरा संख्या 793/404 रकबा 40.00 बीघा किस्म बारानी दोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीनी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 11.03.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(राम कुमार टाडा)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा